संख्या-69/2016/1142/सैंतीस-2-2016-1(22)/07टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-23 मई, 2016

विषयः- **गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-69/प0-2/22/1/4/16-17, दिनांक-27.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) के निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-291.55 लाख (रूपये दो करोड़ इक्यानवे लाख पचपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
08-कार्यालय व्यय	250.00
09-विद्युत देय	400.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150.00
13-टेलीफोन पर व्यय	200.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2500.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1000.00
29-अनुरक्षण	300.00
39-औषधि तथा रसायन	500.00
42-अन्य व्यय	800.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	23055.00
योग-	**29155.00**

(रूपये दो करोड़ इक्यानवे लाख पचपन हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी स्वीकृति को आवंटित परिव्यय में समायोजित कर लिया जायेगा और तदनुसार जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि से प्रथमतः उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्राज के लम्बित बीजकों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
4. मानक मद 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे पेट्रोल बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।
5. मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त ही किया जाय।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि योजनान्तर्गत क्रय ऐसी फर्मों से ही किया जाय जो जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत हों तथा विगत वर्ष तक जिनका आयकर रिटर्न व वैट टैक्स पूर्णरूपेण जमा हो।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुमोदित जिला योजना के अनुसार उन्हीं मदों/प्रयोजन के लिए किया जाय जिसके लिए स्वीकृति दी जी रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
8. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
9. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-69/2016/1142(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित उप निदेशक/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-69/2016/1142/सैंतीस-2-2016-1(22)/07टीसी, दिनांक-23 मई, 2016 का संलग्नक-

गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	29-अनुरक्षण	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मेरठ	6.00	10.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	105.00	**196.00**
2	बागपत	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	400.00	**483.00**
3	गाजियाबाद	6.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	400.00	**486.00**
4	गौतमबुद्धनगर	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	400.00	**483.00**
5	बुलन्दशहर	6.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	106.00	**192.00**
6	हापुड	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**283.00**
7	सहारनपुर	6.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**286.00**
8	मुजफ्फरनगर	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	300.00	**383.00**
9	शामली	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**283.00**
10	मुरादाबाद	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	600.00	**683.00**
11	अमरोहा	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	500.00	**583.00**
12	रामपुर	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**283.00**
13	बिजनौर	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**183.00**
14	सम्भल	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**183.00**
15	बरेली	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	103.00	**186.00**
16	बदायूं	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**283.00**
17	शाहजहांपुर	6.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	300.00	**386.00**
18	पीलीभीत	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**283.00**
19	फैजाबाद	6.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	300.00	**386.00**
20	अम्बेडकर नगर	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	400.00	**483.00**
21	सुल्तानपुर	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**283.00**
22	बाराबंकी	6.00	10.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	308.00	**399.00**
23	अमेठी	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**183.00**

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	गोण्डा	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	300.00	**383.00**
25	बलरामपुर	3.00	5.00	2.00	3.00	34.00	14.00	4.00	7.00	11.00	300.00	**383.00**
26	बहराइच	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	700.00	**781.00**
27	श्रावस्ती	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	500.00	**581.00**
28	बस्ती	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**181.00**
29	संतकबीर नगर	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**181.00**
30	सिद्धार्थ नगर	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**281.00**
31	गोरखपुर	3.00	10.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**186.00**
32	महराजगंज	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	900.00	**981.00**
33	देवरिया	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**181.00**
34	कुशीनगर	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**181.00**
35	इलाहाबाद	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**181.00**
36	कौशाम्बी	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	307.00	**388.00**
37	फतेहपुर	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	400.00	**481.00**
38	प्रतापगढ	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**281.00**
39	झांसी	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	200.00	**281.00**
40	ललितपुर	3.00	10.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	300.00	**386.00**
41	जालौन	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	300.00	**381.00**
42	बांदा	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	207.00	**288.00**
43	चित्रकूट	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	207.00	**288.00**
44	हमीरपुर	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**181.00**
45	महोबा	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	207.00	**288.00**
46	लखनऊ	7.00	10.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**190.00**
47	उन्नाव	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	307.00	**388.00**
48	रायबरेली	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	500.00	**581.00**
49	हरदोई	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**181.00**
50	सीतापुर	3.00	5.00	2.00	3.00	33.00	13.00	4.00	7.00	11.00	100.00	**181.00**
51	खीरी	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	100.00	**178.00**
52	आजमगढ	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	100.00	**178.00**
53	मऊ	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
54	बलिया	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	100.00	**178.00**
55	वाराणसी	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

56	**जौनपुर**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
57	**गाजीपुर**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
58	**चन्दौली**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
59	**मिर्जापुर**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
60	**सोनभद्र**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
61	**संतरविदास नगर**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
62	**कानपुर नगर**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
63	**कानपुर देहात**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
64	**फर्रूखाबाद**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	500.00	**578.00**
65	**इटावा**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	600.00	**678.00**
66	**कन्नौज**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	600.00	**678.00**
67	**औरैया**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	600.00	**678.00**
68	**आगरा**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	1400.00	**1478.00**
69	**मथुरा**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
70	**मैनपुरी**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	600.00	**678.00**
71	**फिरोजाबाद**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	600.00	**678.00**
72	**कासगंज**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
73	**एटा**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	600.00	**678.00**
74	**अलीगढ**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
75	**हाथरस**	3.00	5.00	2.00	2.00	33.00	13.00	4.00	6.00	10.00	307.00	**385.00**
योग-		**250.00**	**400.00**	**150.00**	**200.00**	**2500.00**	**1000.00**	**300.00**	**500.00**	**800.00**	**23055.00**	**29155.00**

(रूपये दो करोड़ इक्यानवे लाख पचपन हजार मात्र)

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।